# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—480/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00480)

1. श्री सोहनलालजी सुपुत्र श्री सैसमलजी बम्ब जाति जैन निवासी आयु 77 साल गांव आसन तहसील ब्यावर जिला अजमेर अब मृतक बजाय उसके वारिसान व कायम मुकामानः—
   1/1 श्री पारसमल बालिग पुत्र सोहनलाल बम्ब
   1/2 श्रीमती पिस्तादेवी धर्मपत्नी स्व0 सोहनलालजी बम्ब
   1/3 श्रीमती चन्द्रबाई बालिग पुत्री स्व0 सोहनलालजी बम्ब

अपीलांटस

बनाम

1. श्री पूरण बम्ब पुत्र जुगराज उर्फ हंसराज जाति जैन(मृतक) जरिये वारिसान
   1/1 श्रीमती सुरज कंवर पत्नि पूरण बम्ब
   1/2 श्रीमती कुसुम पुत्री पूरण बम्ब निवासी मुणोत कॉलोनी, ब्यावर तहसील ब्यावर।
   1/3 श्रीमती आशा पुत्री पूरण पत्नि अमीत धारोलिया निवासी चान्दनी चौक, नई दिल्ली।
2. श्रीमती शांति बाई पुत्री जुगराज पत्नि प्रकाश चन्द जैन, निवासी नयाबास, ब्यावर।
3. श्रीमती उमरावबाई पुत्री जुगराज पत्नी पारसमलजी गादिया निवासी बैंगलोर
4. श्रीमती चुकीबाई पुत्री जुगराज पत्नी रामराजजी लौढा निवासी दो कोठा के बीच धन्टाधर के पास, जोधपुर।
5. श्री चम्पालाल पुत्र श्री सैसमल बम्ब जाति जैन निवासी आसन तहसील टाटागढ जला अजमेर।
6. देवीचंद पुत्र कालूराम
7. मंगलचंद पुत्र कालूरामजी

   प्रतिवादी संख्या 5 से 7 निवासी तनवार पैठ चैन्नई बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काविज जायदाद स्व0 कालूराम पुत्र सैसमलजी जाति बम्ब निवासी आसन तहसील ब्यावर जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार व उप—पंजीयक टाटगढ़
9. राजस्थान सरकार जरिए उप—पंजीयक ब्यावर

रेस्पोडेन्टस

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 136/2012**

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गादिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शौकिन्द लाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 8, 9
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 अनुपस्थित
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5 से 07 तलबी बंद।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

# निर्णय

दिनांकः–30.09.2022

1- यह अपील उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 136/2012 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 01.06.2016 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक वास्ते विभाजन घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली में वर्णित आराजीयात वाकै बाधमाल पटवार क्षेत्र सातुखेडा तहसील टाटगढ में स्थित है। जो निम्नानुसार है। खाता नम्बर 262 खसरा नम्बर 2573 रकबा 0–1–0, खसरा नम्बर 2574 रकबा 1–3–0 खसरा नम्बर 2579 रकबा 0–18–0 खसरा नम्बर 2580 रकबा 0–07–10 कुल रकबा 2–4–10 एवं यह भी निवेदन किया कि गांव राणाता भगवानपुरा पटवार क्षेत्र सातुखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान में भी निम्न आराजीयात स्थित है। खाता नम्बर 195, खसरा नम्बर 1481 रकबा 0–02–00 खसरा नम्बर 1483 रकबा 0–04–00 खसरा नम्बर 1484 रकबा 0–09–00 खसरा नम्बर 1486 रकबा 1–03–00 खसरा नम्बर 1487 रकबा 0–03–00 खसरा नम्बर 1488 रकबा 0–02–10 खसरा नम्बर 1489 रकबा 0–19–10 खसरा नम्बर 1493 रकबा 0–02–00 व कुल रकबा 3–05–00, खाता नम्बर 269, खसरा नम्बर 1382 रकबा 1–09–00, खसरा नम्बर 1485 रकबा 1–04–10 है एवं यह भी निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात का सहखातेदार काश्तकार वादी चला आ रहा है व आराजीयात अविभाजित है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य सीमांकन द्वारा विभाजन नहीं हुआ है व संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है, वादग्रस्त आराजीयात पर हिस्सों को लेकर विवाद होता रहता है। वादी वादग्रस्त आराजीयात को समलात में नहीं रखना चाहता है। वादी ने दिनांक 15–07–2012 को विभाजन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को निवेदन किया किंतु वे तैयार नहीं हुए एवं प्रार्थना की कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार हिस्सा घोषित किया जाकर बाई मीटस व बाउण्डस विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को विभाजन न होने तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विभाजन जब तक न होवे तब तक बेचान हस्तातरण आदि नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 01 से जवाबदावा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 09.03.1973 को ही बाहमी बंटवारा हो गया एवं बंटवारे में आई भूमि पर वह काबिज है एवं काउन्टर क्लेम पेश कर बमुजब विभाजन मिन नम्बर बंटवारा किया जावे । प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामिली के दौरान ही पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प आसन में दिनांक 1.06.2016 को रखी गई एवं वाद परिपक्व हुए बिना ही एवं केवल मात्र केम्पों में मुकदमे फैसल किए जाने की संख्या बढाने की नीयत से बिना पक्षकारान को सुन हडबडी में बिना किसी औचित्य व न्यायिक आधार के दिनांक 1.06.2016 को वाद खारिज कर दिया। इन वर्णित आधारों व उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर ब्यावर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 01.06.2016 को अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली अन्य प्रतिवादीगण की तलबी में ही चल रही थी एवं बिना सभ पक्षकारान को तलब किए व उन्हें सुनवाई का अवसर दिए किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता था किंतु हडबडी में बिना अपीलार्थी को केम्प मे सुने बिना उसे सूचित किए केवल मात्र राजस्व केम्पों में निर्णित मुकदमों की संख्या बढाने की नीयत से वाद फैसल कर खारिज कर दिया। राजस्व केम्पों में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से वे ही प्रकरण तय किए जा सकते है जो कि आपसी सुलहनामा अथवा पक्षकारान की सहमती से हो, राजस्व केम्पों में न तो तनकियात कायम की जाती है व नही साक्ष्य ली जाती हे व न ही बहस सुनी जाती

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

है व नही गुणवगुण पर तय किया जा सकता है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत केम्प आसन में बिना वादी अथवा उसके अधिवक्ता को सुने व बिना तलबी कराए व साक्ष्य का समूचित अवसर दिए बिना वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज करने का एक यह आधार लिया है कि वादी ने कथित लक्ष्मणसिंह पुत्र गोविंदसिंह को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है एवं प्रतिवादी चम्पालाल ने अपना 1/6 हिस्सा उसे दिनांक 20.11.2014 व 22.07.2014 को बेचान कर दिया जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कथित बेचाननामा दिनांक 22.07.2014 व 20.11.2014 से दो वर्ष पूर्व दिनांक 21.08.2012 को ही वाद दायर कर दिया था अतएव उसे तत्समय पक्षकार बनाए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर दिया जबकि विधि इस बाबत आदेश 1 नियम 9 जाब्ता दिवानी स्पष्ट है कि पक्षकार के अभाव में वाद खारिज नहीं किया जा सकता जब तक की न्यायालय के आदेश दिए जाने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया जाए जबकि प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके अलावा भी धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम लिस्पेंडेंसि का सिद्धांत लागू होता है जहां कि वाद के दौरान सम्पति अंतरित कर दी जाती है तो नया खरीददार उस पक्षकार के स्थान में आ जाता है। ऐसे बेचाननामों की जानकारी भी वादी को नहीं थी। विधि इस बावत स्पष्ट है कि वाद विषय की सम्पति का ही विभाजन किया जाना चाहिए एवं वादीगण ने कथित खसरा संख्या 1479, 1480, 1482, 1490, 1491 का उल्लेख नहीं किया जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ने इन खसरा नम्बरान का उल्लेख कर काउन्टर क्लेम किया है एवं विधि इस बाबत भी सुस्पष्ट है कि प्रत्येक विभाजन के वाद में काउन्टर क्लेम के अनुरूप प्रत्येक वादी प्रतिवादी व प्रतिवादी वादी हो जाता है इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर ब्यावर के आदेश दिनांक 01.06.2016 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का बंटवारा 9 मार्च 1973 को मौतवीरान पंचो ने कर दिया था जिस आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा हो चुका था एवं बंटवारेनुसार ही प्रतिवादी संख्या 1 व 5, 6, 7, 8 काबिज काश्त है। बंटवारे को करीबन 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा काउन्टर क्लेम को भी खारिज किया है जो विधि सम्मत नहीं है। 9.03.1973 को हुए ब्राहमी बंटवारे अनुसार बंटवारा किया जाकर मिन नम्बर अंकित किये जाने थे एवं नक्शा ट्रेस से भी प्रतिवादी संख्या 01 के बंटवारे अनुसार तरमीम किया जाने के आदेश देने चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नोन स्पीकिंग निर्णय पारित करते हुए काउन्टर क्लेम को खारिज करने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत नही है। यदि मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो वादी के वाद के साथ प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम पर भी पुनःनिर्णय करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के वाद व काउन्टर क्लेम दोनो को खारिज करने के आदेश देकर कानूनी त्रुटि कारित की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि दावे व काउन्टर क्लेम का जवाब लेकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबंदी के आधार पर दावें में पक्षकारान संयोजित कर दावे व काउन्टर क्लेम का जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सबूत का अवसर देते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 136/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबंदी के आधार पर दावें में पक्षकारा संयोजित कर दावे व काउन्टर क्लेम का जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सबूत का अवसर देते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर